न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 19/2025

श्री रामधन चौधरी पुत्र श्री कल्याण चौधरी जाति जाट निवासी मराठा कॉलोनी छावनी, टोंक तहसील व जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22.04.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1. सुमित्रा चौधरी पत्नी सूरज चौधरी हाल पटवारी ग्राम पंचायत अरनियाकेदार, तहसील व जिला टोंक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या नही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और उस कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित विभाग मे सूचना नहीं दी जाती है और तथ्य छुपा लिये जाते है तो उक्त कर्मचारी के खिलाफ किसी नियम व सर्कुलर के तहत कार्यवाही की जाती है। उक्त नियम व सर्कुलर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावी जावें।
3. सुमित्रा चौधरी के खिलाफ विभाग मे कितनी शिकायते दर्ज हो रखी है, उक्त शिकायतों के आधार पर उक्त कर्मचारी के खिलाफ विभाग द्वारा कौन—कौनसी कार्यवाही/16 सी सी व 17 सीसी की कार्यवाही पेण्डीग चल रही है। उक्त पेण्डीग कार्यवाही व सम्पूर्ण नोटिसों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 386 दिनांक 10.03.2025, 458 दिनांक 27.03.2025 व 533 दिनांक 15.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 3334 दिनांक 08.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 504 दिनांक 31.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.)